



युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कं. लि.

(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाऊस, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई - 600 014.

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India)

Regd. & Head Office : United India House, 24, Whites Road, Chennai-600 014.

‘वेडिंग बेल्ल्स’ पॉलिसी के लिए प्रस्ताव प्रपत्र PROPOSAL FORM FOR “WEDDING BELLS” POLICY

उप खण्ड I व II में किसी भी एक मदों का मूल्य बीमित राशि के 5 % से अधिक होने पर उसे अलग से घोषित करें।
(Any one item exceeding in value 5% of sum insured under any sub section I & II has to be declared specifically.)

1. (क) प्रस्तावक का नाम (a) Name of the Proposer (ख) पता (b) Address (क) व्यवसाय (c) Occupation	
2. वधू (दुल्हन)/वर (दुल्हा) का ब्यौरा Particulars of Bride/Groom : (क) वधू का नाम (a) Name of Bride (ख) वधू की जन्म तारीख (b) Age of Bride (ग) वधू के पिता का नाम (c) Daughter of (घ) वर का नाम (d) Name of the Groom (च) वर की जन्म तारीख (e) Age of Groom (छ) वर के पिता का नाम (f) Son of (ज) वधू/वर का बीमाधारक से पारस्परिक संबंध (g) Relationship of Insured to Bride / Groom	
3. शादी / विवाह परिसर का पता Address of the marriage / wedding premises (क) निर्माण की श्रेणी (a) Class of construction (ख) शादी के समय क्या प्रस्तावक पूरे परिसर का अकेला उपभोक्ता होगा अर्थात् क्या परिसर एकमात्र उसी के उपयोग के लिए होगा? (b) Will the proposer be the sole occupant of the entire premises at the time of marriage i. e. has the premises been taken for his exclusive use? (ग) उसी समय परिसर में होने वाले उसी प्रकार के कोई अन्य कार्यक्रम (यदि परिसर में एक से अधिक बिल्डिंगें हैं) (c) Any other similar function at the same time in the premises (if the premises contains number of buildings)	
4. (क) शादी की तारीख व समय (a) Date and time of marriage (ख) परिसर में शुरू होने वाले कार्यक्रम/कार्य की तारीख व समय (b) Date and time of starting the function / activity at the premises (ग) कार्यक्रम के समाप्ति की तारीख व समय (c) Date and time of completion of function	

<p>5. (क) खर्चों का विवरण (कृपया विस्तृत ब्यौरा दें) रू. (a) Details of expenses (please give detailed list) Rs. (ख) मुख्य कार्यक्रम, प्रारंभिक कार्य, स्वागत समारोह में आनेवाले मेहमानों की अनुमानित संख्या (b) Indicate anticipated number of guests for main function, preliminaries, receptions (ग) सम्पत्ति तथा मूल्यवान चीजों का विवरण (c) Details of property and valuables (1) बीमाधारक के स्वयं का Insured own (2) भाड़े पर लिए गए. Taken on rent (घ) उपर उल्लिखित सम्पत्ति अन्य किसी पॉलिसी द्वारा बीमित है, यदि हां, विवरण दें (d) Has the property mentioned above been insured earlier under any other policy. If so give details. (च) क्या बिल्डिंग तथा विवाह परिसर की अन्य अंतर्वस्तुएं अन्य किसी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित हैं यदि हां, विवरण दें. (e) Has the buildings and other contents of the marriage premises been earlier insured under any other policy, if so give details.</p>	
<p>6. बीमित राशि Sum insured (a) (क) खर्चा expenses रू Rs. (b) (ख) सम्पत्ति property रू Rs. विधिक दायित्व Legal Liability कर्म क्ष. दायित्व WC Liability रू. Rs. तृतीय पक्ष दायित्व T. P. Liability रू Rs.</p>	
<p>7. बीमा अवधि Period of insurance From _____ से To _____ तक</p>	

धारा /SECTION	बीमित राशि रू / SUM INSURED Rs.
I.उपगत व्यय /Expenses Incurred	
II.संपत्ति नष्ट / Property Damage	
III. विधिक दायित्व / Legal Liability	तृतीय पक्ष दायित्व रू. कोई एक दुर्घटना : Third Party Liability –Rs AOA:
विस्तार 1 / Extension 1	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार कर्मकार प्रतिकर Workmens Compensation as per WC Act
विस्तार 2 / Extension 2	
विस्तार 3 / Extension 3	
विस्तार 4 / Extension 4	
कुल बीमित राशि / Total Sum Insured	

हस्ताक्षर / Signature

दिनांक / Date

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध
Section 41 of Insurance Act, 1938 – Prohibition of Rebates

- 1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी पर देय पूरे कमीशन की या उसके किसी भाग की अथवा पालिसी पर दिखाए गए प्रीमियम की कोई छूट या ऐसी छूट के सिवाय जो बीमाकर्ता की विवरण पत्रिकाओं या सारणियों के अनुसार अनुमति दी जा सकती है, न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा और न पालिसी लेनेवाला या उसे नवीकृत करानेवाला या जारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा।

No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurers.

- 2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees.